

गाज़ा: नरसंहार के ८०० दिन

अल्लाह आकाशों और धरती का प्रकाश है। उसके प्रकाश का उदाहरण ऐसा है जैसे एक आले में एक दीपक हो; दीपक एक शीशे में हो, वह शीशा मानो चमकता हुआ तारा हो, जो एक मुबारक ज़ैतून के पेड़ से जलाया गया हो जो न पूरब का हो न पश्चिम का, जिसका तेल आप ही आप चमकने लगे भले ही आग उसे न छुए। प्रकाश पर प्रकाश।

— कुरआन, सूरह अन-नूर २४:३५

१९४५ के बाद दुनिया ने जो सबसे लंबी और सबसे अंधेरी रात देखी है, उसमें गाज़ा के बीस लाख लोग वह दीपक बन गए।

ठीक आठ सौ दिनों से गाज़ा के आसमान में आग बरस रही है। आठ सौ रातों से धरती दो लाख टन विस्फोटकों से थरथरा रही है। आठ सौ सुबहों से मंत्री कैमरे के सामने बिना शर्म के दोहराते रहे कि एक दाना गेहूँ, एक बूंद दवा, एक लीटर ईंधन भी बीस लाख इंसानों तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा।

फिर भी वह प्रकाश बुझा नहीं।

मानवीय पीड़ा का एक नया मानदंड

१९४५ के बाद के पूरे युग में पृथ्वी पर किसी भी नागरिक आबादी को इतने लंबे समय, इतनी तीव्रता और इतने जानबूझकर किए गए अभाव का ऐसा संयोजन नहीं झेलना पड़ा जैसा अक्टूबर २०२३ से दिसंबर २०२५ तक गाज़ा पट्टी में फँसे २३ लाख लोगों को झेलना पड़ा।

- ८००० लगातार दिन पूर्ण या लगभग पूर्ण घेराबंदी
- २,००,०००+ टन विस्फोटक गिराए गए (हिरोशिमा आकार के पंद्रह परमाणु बमों के बराबर)
- ८०% घर पूरी तरह या गंभीर रूप से नष्ट
- मानव-निर्मित अकाल जो कई प्रांतों में IPC फेज़ ५ (विनाशकारी) तक पहुँच गया
- पूरे नागरिक आबादी को युद्ध के हथियार के रूप में जानबूझकर भुखमरी
- स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा व्यवस्था का लगभग पूर्ण विनाश

संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के हर मापदंड से गाज़ा ने केवल “मानवीय संकट” नहीं झेला। उसे ऐसी परिस्थितियों में धकेला गया जो मानव अस्तित्व की सीमाओं को ही चुनौती देती हैं।

फिर भी, हर तर्कसंगत उम्मीद के विपरीत, अधिकांश लोग अभी भी जीवित हैं। यह तथ्य अपने आप में हमारे सदी का सबसे शांत चमत्कार है।

प्रकाश पर प्रकाश

हर अकाल पूर्वानुमान, हर सार्वजनिक स्वास्थ्य सिमुलेशन, विश्व खाद्य कार्यक्रम और IPC के हर भयावह स्प्रेडशीट ने एक ही बात कही थी: इतने कम कैलोरी के इस स्तर पर, इतने लंबे समय तक, बिना चिकित्सा व्यवस्था और साफ पानी के पूरे समाज में मृत्यु दर समाज-विनाशकारी स्तर तक पहुँच जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि पीड़ा बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई थी; वह मॉडल्स की कल्पना से भी बदतर थी। लेकिन मॉडल्स ने उस कौम को हिसाब में नहीं लिया जिसने शांत और अटूट यकीन के साथ फैसला किया कि उसका वजूद ही प्रतिरोध होगा।

- चार दिन से न खाने वाली माँ के स्तनों में फिर भी बच्चे के लिए दूध आया, अपने शरीर को खुद खाते हुए भी उसने जीवन आगे बढ़ाया।

- जिस सर्जन ने रसोई के चाकू और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में छह साल के बच्चे की टांग काटी, वह बार-बार फुसफुसाता रहा “तू बहादुर है, हबीबी”, जब तक बच्चे के सिसकियाँ ही एकमात्र एनेस्थीसिया न बन गईं।
- एक टेंट में बीस अजनबी एक डिब्बा बीन्स बाँटते हैं, हर कोई एक चम्मच लेता है ताकि बच्चों को दो मिल सकें।
- बेया लाहिया का बूढ़ा जिसका घर तीसरी बार बम से उड़ा, उसने गड्ढे में टमाटर के बीज बोए क्योंकि “मरने से पहले यहाँ कुछ हरा उगना चाहिए”।
- वह किशोर जिसने अपनी लकवाग्रस्त दादी को १४ किलोमीटर पीठ पर उठाया और रास्ते भर उसे उस समुद्र की कहानियाँ सुनाता रहा जिसे वह अब देख नहीं सकती थी, ताकि रास्ते में उम्मीद न टूटे।

ये वीरतापूर्ण अपवाद नहीं थे। यही नियम थे।

कानूनी ढांचा: तीन समवर्ती व्यवस्थाओं का एक साथ-साथ उल्लंघन

नीचे दिए तीनों कानूनी व्यवस्थाओं का उल्लंघन दो साल से अधिक समय तक रोज़ाना हुआ।

जेनेवा कन्वेंशन IV (१९४९) – युद्धकाल में नागरिकों की सुरक्षा

- अनुच्छेद २३: बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं के लिए भोजन, दवा और कपड़े के मुक्त मार्ग की बाधिता – ९ अक्टूबर २०२३ से लगातार उल्लंघन।
- अनुच्छेद ५५: कब्ज़ा करने वाली शक्ति को उपलब्ध साधनों से अधिकतम भोजन और चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करना – निरंतर उल्लंघन, भले ही २०२१ के ICJ और इज़राइली हाई कोर्ट के फैसलों ने गाज़ा पर प्रभावी नियंत्रण की पुष्टि की हो।
- अनुच्छेद ५६: चिकित्सा और अस्पताल सेवाओं को बनाए रखने का कर्तव्य – उत्तरी गाज़ा के हर अस्पताल पर व्यवस्थित हमले और ईंधन, ऑक्सीजन, दवाओं के जानबूझकर इनकार से उल्लंघन।
- अनुच्छेद ३३: सामूहिक दंड का निषेध – “पूर्ण घेराबंदी”, “न बिजली, न भोजन, न ईंधन” जैसे स्पष्ट सार्वजनिक बयानों और कैलोरी प्रतिबंध की निरंतर नीति से उल्लंघन।

नरसंहार कन्वेंशन (१९४८)

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (जनवरी और मई २०२४, जुलाई २०२५ अंतरिम उपाय; अक्टूबर २०२५ सलाहकार राय) ने नरसंहार का “वास्तविक खतरा” और बाद में “गंभीर खतरा” पाया। दिसंबर २०२५ तक ICC अभियोक्ता ने नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट माँगे, स्पष्ट रूप से इस आरोप पर:

- अनुच्छेद II(c): “समूह पर जानबूझकर ऐसी जीवन स्थितियाँ थोपना जिनका उद्देश्य उसका शारीरिक विनाश करना हो” – भुखमरी, पानी से वंचित करना, स्वच्छता का विनाश और चिकित्सा देखभाल रोककर।

समर्थक सबूतों में मंत्रिमंडल-स्तर के बयान (“मानव पशु”, “एक दाना गेहूँ नहीं”, “गाज़ा मिटा दो”), जीवित रहने की न्यूनतम कैलोरी से नीचे निरंतरता, और सभी खाद्य उत्पादन साधनों का विनाश (मछली नावें, ग्रीनहाउस, बेकरी, खेत) शामिल हैं।

प्रथागत अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (नियम ५३-५६, ICRC अध्ययन)

- नियम ५३: नागरिकों को भुखमरी युद्ध का हथियार बनाना निषिद्ध है।
- नियम ५४: जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं (पानी के प्लांट, खाद्य भंडार, कृषि क्षेत्र, अस्पताल) पर हमले निषिद्ध हैं।
- नियम ५५: पक्षों को मानवीय राहत का तीव्र और अबाधित मार्ग अनुमति और सुविधा प्रदान करना होगा।

वास्तविक हालात: धीमी गति से विनाश का वृत्तांत

उन्होंने इसे “पूर्ण घेराबंदी” कहा। इसे “दबाव” कहा। लोगों को “मानव पशु” कहा और बिना किसी परोक्ष भाषा के घोषणा की कि एक दाना गेहूँ भी नहीं गुज़रेगा।

चरण १ – अक्टूबर २०२३ से फरवरी २०२४: “पूर्ण घेराबंदी”

रक्षा मंत्री गैलेंट का ९ अक्टूबर का ऐलान शब्दशः शब्द लागू किया गया। हफ्तों तक एक भी ट्रक नहीं घुसा। कैलोरी ३००-६०० किलो कैलोरी/दिन तक गिरी। दिसंबर २०२३ में पहली दस्तावेज़ी भुखमरी मौतें हुईं।

चरण २ – मार्च से मई २०२५: “पूर्ण नाकाबंदी”

जनवरी युद्धविराम टूटने के बाद वित्त मंत्री स्मोत्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर ने सभी क्रॉसिंग ११ हफ्ते बंद करवा दीं। UNRWA का आटा पूरी तरह खत्म। माँओं ने दूषित पानी से फॉर्मूला मिल्क पतला किया। कमाल अदवान अस्पताल में भुखमरी से मरे बच्चों की पहली सामूहिक कब्र मिली।

चरण ३ – जून से सितंबर २०२५: अकाल घोषित

गाज़ा प्रांत में IPC फेज़ ५ घोषित (अगस्त २०२५)। औसत वज़न हानि शरीर के २२% तक पहुँची। हर गली में बच्चों की पसलियाँ दिखने लगीं। इज़राइल द्वारा अनुमत एकमात्र “राहत” हवाई ड्रॉप्स ने जितनों को खिलाया उससे ज़्यादा को मार डाला।

चरण ४ – अक्टूबर से दिसंबर २०२५: वह युद्धविराम जो नहीं था

अक्टूबर २०२५ समझौते ने ६०० ट्रक प्रतिदिन का वादा किया था। वास्तविक औसत १२०-१८०। रफ़ाह क्रॉसिंग ज़्यादातर दिन बंद रहा। ईंधन की कमी से अस्पतालों को चुनना पड़ा कि कौन से इनक्यूबेटर चलें चलेंगी। दिसंबर तक १००% आबादी IPC फेज़ ३ या उससे ऊपर बनी रही।

माता-पिता का हिसाब

कुपोषण विज्ञान क्रूर है: पाँच साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा जोखिम में होते हैं। लेकिन गाज़ा के माता-पिता यह जानते हैं। इसलिए वे एक ही काम करते हैं जो बचा है। वे खुद खाना छोड़ देते हैं।

सर्वेक्षण दर सर्वेक्षण (लैसेट २०२५, यूनिसेफ २०२५, WHO निगरानी २०२४-२०२५) एक ही पैटर्न दर्ज करते हैं: ७०-९०% वयस्क पूरी तरह भोजन छोड़ देते हैं ताकि उनके बच्चों को एक मुट्ठी चावल या पारदर्शी हो चुके पाउडर मिल्क की एक और घूंट मिल सके। माँएँ ऐसी हालत में स्तनपान कराती हैं कि उनकी पसलियाँ उभर आई हैं – बच्चे ने पहला ठोस भोजन खाने से पहले ही कुपोषण विरासत में मिल जाता है।

नतीजा दिल तोड़ने वाला उलटफेर है: गाज़ा के बच्चों ने अपने माता-पिता से कम वज़न खोया है, क्योंकि माता-पिता ने हर रोज़ रोज़ थोड़ा-थोड़ा मरना चुना ताकि उनके बच्चे थोड़ा और जी सकें।

वह चिकित्सकीय दुःस्वप्न जिसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए

गाज़ा के सर्जनों को हज़ारों बिना एनेस्थीसिया के कटाई करनी पड़ी – उनमें से बहुत से बच्चों की – कभी-कभी सिर्फ़ मोबाइल टॉर्च और बारिश के पानी में उबाले गए कुंद चाकू से।

- ५०% जलने वाली चार साल की बच्ची का मरा मांस चीरा जाता है जबकि वह “मम्मा” चिल्लाती रहती है जब तक दर्द से बेहोश न हो जाए।
- छह साल का लड़का पूरी तरह होश में है जब उसकी कुचली हुई जांघ की हड्डी काटी जाती है, वह सर्जन का हाथ पकड़े फुसफुसाता है “इतना दर्द क्यों हो रहा है?”
- किशोरियाँ सीज़ेरियन करवाती हैं जिन्हें रिश्तेदार पकड़ कर रखते हैं क्योंकि केटामाइन खत्म हो चुका है।

२०२३ से गाज़ा में काम करने वाले हर डॉक्टर एक ही बार-बार आने वाले दुःस्वप्न का वर्णन करते हैं: वह पल जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक चीखते बच्चे को काटना है और दर्द कम करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। बहुतों ने नींद छोड़

दी; कुछ ने बोलना ही बंद कर दिया।

वे अब भी जीवित कैसे हैं? एक चमत्कार का शरीरविज्ञान

सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडलों की हर भविष्यवाणी के खिलाफ गाज़ा में अभी तक पूर्ण जनसांख्यिकीय पतन नहीं हुआ। इस असंभाव्य जीवित रहने के कई कारण हैं:

1. **असाधारण सामाजिक एकजुटता** परिवारों ने आखिरी टुकड़े जोड़े, पड़ोसियों ने एक टूना केन बीस लोगों में बाँटा, अजनबियों ने जबरन मार्च के दौरान बुजुर्गों को पीठ पर उठाया।
2. **अस्थायी जीवित रहने के तरीके** पशु चारा खाना, घास और पत्ते उबालना, तबाह घरों के लकड़ी से समुद्री पानी आसवना, मोबाइल फ्लैशलाइट से सर्जरी करना।
3. **जाने से इनकार** पट्टी के ८५% हिस्से को अलग-अलग समय में खाली करने के आदेश के बावजूद ज़्यादातर गाज़ावासी रुके रहे – आंशिक रूप से क्योंकि कहीं सुरक्षित जगह नहीं थी, आंशिक रूप से क्योंकि जाना मतलब स्थायी विस्थापन था।

गाज़ा के डॉक्टर बार-बार आबादी को “जीते-जागते मुर्दे” कहते हैं – जीवित, पर बस नाममात्र को।

उपसंहार: साँस लेते शरीरों में लिखा फैसला

कि बीस लाख इंसान – शिक्षक, कवि, चलना सीखते बच्चे, हर पिछली जंग से बच निकलीं दादियाँ – १२ दिसंबर २०२५ को अब भी साँस ले रहे हैं, यह इस बात का सबूत नहीं है कि नीति मानवीय थी।

यह सबूत है कि मानवीय सहनशक्ति के कुछ रूप उन मशीनों से ज़्यादा मज़बूत हैं जिन्हें उन्हें खत्म करने के लिए बनाया गया था।

वे अभी भी यहाँ हैं। अभी भी जीवित हैं। और उनकी हर साँस एक अभियोग है।